राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302005

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई मेल :aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः– एफ.3(ग)(1)(6)/गैर अनु.क्षेत्र/2022–23/अलेसे–ाा/69 दिनांक :–18.04.2023

आदेश संख्याः–07

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम–1963, के नियम–29 (2ए) के अन्तर्गत वर्ष–2022–23 की रिक्तियों पर विचारार्थ गठित पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 20.03.2023 की अभिशंषा के आधार पर निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों (गैर अनुसूचित क्षेत्र), का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–ाा (गैर अनुसूचित क्षेत्र) के रिक्त पदों पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जाकर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–ाा (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद के पे–मेट्रिक्स लेवल एल–11 में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता हैं।

क.सं.	लिंक नं.	मेरिट/बैच	नाम (सर्वश्री)	जन्मतिथि	वर्ग	रिक्ति दिनांक	वि0 वि0
1	11428	181/2013	राजीव कुमार सुथार	14.01.85	BC	01.04.22	दो से अधिक संतान
2	13020	2753/2013	सतीश जैन	18.06.80	GE	01.04.22	दो से अधिक संतान

उपरोक्त कार्मिकों की पदोन्नति कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क–2/95/पार्ट दिनांक 16.03.2023 के क्रम में की गई हैं। इनका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किन्तु वह 03 पश्चात्वर्ती वर्षो के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु काल्पनिक रुप से हकदार होंगे और ऐसे 03 वर्षो के पश्चात उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। अतः इनका वेतन निर्धारण उक्त अधिसूचना में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार उक्तानुसार पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–ाा में क्रमोन्नत/क्रमावनत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेगें। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (inter-se seniority) यथावत रहेगी।

उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विमाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(15)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 12.04.2023 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.3(ग)(1)(6)/गैर अनु.क्षेत्र/2022–23/अलेसे–ाा/69 दिनांक :–18.04.2023

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।</u>

1. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..
4. श्री.. कनिष्ठ लेखाकार (गैर अनु.क्षेत्र), कार्यालय.................................... को निर्देशित किया जाता है कि वे स.ले.अ. ग्रेड–ाा पद पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब को भिजवायें।
5. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
7. अलेसे–ाा/डीपीसी शाखा/ए.सी. आर. शाखा/जांच शाखा/गार्ड फाईल निजी पत्रावली ।

(के.जी.गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–ाा/ाा)